

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

शकेश / गरिका

केस संख्या : 40/25

दिनांक आशा या कार्यवाही : 48/25

केस संख्या	दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विरोध
	6/8/25	प्रतावली आज दिनांक 6/8/25 को पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट एड. जयपुर कन्डोलेंस की पूर्वनुसार दिनांक 18/8/25	
	18/8/25	प्रतावली प्रस्तुत व.क.उप. जयपुर के भाग की वदत नहीं की गई आता पेकी पट वदत नहीं करके पट जंपउ समस्या निषेधाणा गुठावागुण के आधार पर निर्णित कर दिया जावेगा वान्ते वदत दिनांक 21/8/25 को पेश हो।	
	21/8/25	प्रतावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से प्रतावली पूर्वनुसार दिनांक 25/8/25 को पेश हो।	
	25/8/25	प्रतावली प्रस्तुत। व.क.उप. जयपुर की वदत हुनी गई। विवादित काराजी में शर्पीगण व अशर्पीगण का शासक मारी हिस्सा निर्दिष्ट है क्लिका विधिक वंजना नही हुआ है। अशर्पीगण बिना विधिक विमानन के विवादित काराजी में बुरे-बुरे करना चाहते हैं। उनको पाकेट किया जावे। प्रस्तुत तर्कों पर विचार के आधार पर प्रथम प्रस्ताव मानला कूरणीधि हरि शर्पी के पक्ष में।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

~~राकेश / शक्ति~~

या : ५४/२०२५

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>प्रतीत होती है, ऊपर वाड बाहुल्यता को रोकने के लिए दिनांक 07.05.2025 को जारी अन्तरिम आर्द्ध निर्देशना को अलपक के निस्तारण तक रद्द किया जाता है। परामर्शी फैसल युगल दोनोपक्षिल फर्द हो।</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर</p>	